न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 142/2007

1 श्योराम पुत्र खींवाराम।
1/1 धनकोरी देवी स्त्री श्योराम।
1/2 जयसिंह पुत्र श्योराम।
1/3 शंकुतला पुत्री श्योराम।
1/4 अनिता पुत्री श्योराम।
2 दोलतसिंह दत्तक पुत्र रिछपाल।
3 धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी राजूवाली तन ग्राम गोड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रिछपाल पुत्र बींजाराम।
1/1 ग्यारसी देवी स्त्री रिछपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी राजूवाली तन ग्राम गोड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/2 कमला पुत्री रिछपाल स्त्री लीलाराम।
1/3 मेवा पुत्री रिछपाल स्त्री महासिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नापावाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 श्योदान (मृत)।
2/1 रूकमणी स्त्री श्योदान।
2/2 बचनपाल पुत्र श्योदान।
2/3 धर्मेन्द्र पुत्र श्योदान समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी राजूवाली तन ग्राम गोड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/4 अमनासी पुत्री श्योदान पत्नी शीशराम तेतरवाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी तेतरवालो की तन गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 श्रीमती गुलाबी पुत्री खींवाराम पत्नी मालीराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बांकली तन पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले
मुकदमा अनुवानी श्योराम आदि बनाम रिछपाल आदि
मुकदमा नम्बर 29/2007 दावा उदघोषणा स्थायी
निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ईश्वर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1386 रकबा 3.21 हैक्टेयर तन ग्राम केरवाली तहसील नीमकाथाना स्थित है, जिसका अपीलांट संख्या 1 का पिता खींवाराम खातेदार काश्तकार था। खींवाराम ने बींजाराम की स्त्री बिदामी से पुर्नविवाह किया था, जिसके रिछपाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट संख्या 1 व नारायण के रूप में साथ आये थे, जो बींजाराम की संतान है। अपीलांट/वादी संख्या 1 के पिता खींवाराम की मृत्यु पर उसके अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ही उत्तराधिकारी होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व नारायण ने अपीलांट के साथ विरासत का नामान्तकरण संख्या 804 अपने पक्ष में स्वीकार करवा लिया और 1/3,1/3 भाग की खातेदारी अंकित करवा ली ओर उक्त गलत अंकित खातेदारी के आधार रेस्पोडेंट संख्या रिछपाल ने रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में दिनांक 11.12.2006 को विवादित आराजियात के 1/6 भाग का एक नुमाईशी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया, अपीलांट संख्या 2 रेस्पोडेंट संख्या 1 रिछपाल का दत्तक पुत्र है अपीलांट संख्या 3 नारायण का दत्तक पुत्र है, अपीलांट के खातेदारी अधिकारों को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा इंकार करने पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के न्यायालय में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेंट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित आये तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया व दावे की सुनवाई के दौराने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा विक्रय पत्र निरस्तीकरण का मानते हुये आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर विचाराधीन आदेश से खारिज किया है। वाद की विषय वस्तु का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट का वाद पैतृक भूमि में घोषणा के सन्दर्भ में था। इसे सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। विचारण न्यायालय को प्रकरण उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था।विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने नामान्तकरण को आज दिनांक तक चुनौती नही दी है। रेस्पोडेंट सदभावी क्रेता है। दावे की मद संख्या 7 में विक्रय पत्र निरस्तीकरण का अनुतोष चाहा गया है। विधि अनुसार यह राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में नही आता है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा विक्रय पत्र निरस्तीकरण का मानते हुये आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर विचाराधीन आदेश से खारिज किया है। वाद की विषय वस्तु का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट का वाद पैतृक भूमि में घोषणा के सन्दर्भ में था। इसे सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। विचारण न्यायालय को प्रकरण उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अनुसार साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर